



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 36-2019/Ext.] CHANDIGARH, SATURDAY, FEBRUARY 23, 2019 (PHALGUNA 4, 1940 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 23rd February, 2019

No. 14-HLA of 2019/18/4001.— The Haryana Municipal Entertainment Duty Bill, 2019, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 14- HLA of 2019

THE HARYANA MUNICIPAL ENTERTAINMENT DUTY BILL, 2019

A

BILL

to provide for the levy of entertainment duty in respect of admission to public entertainments.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

- | | |
|--|--|
| <p>1. (1) This Act may be called the Haryana Municipal Entertainment Duty Act, 2019.
(2) It extends to the whole of the State of Haryana.
(3) It shall be deemed to have come into force with effect from the 1st July, 2017.</p> | <p>Short title, extent and commencement.</p> |
| <p>2. In this Act, unless the context otherwise requires,-
(a) “admission to an entertainment” means admission to any place where entertainment is being held or is to be held;
(b) “Commissioner” means the Commissioner of the Municipal Corporation;
(c) “Director” means the Director, Urban Local Bodies Department, Haryana;
(d) “Executive Officer” means the Executive Officer of the Municipal Council;
(e) “entertainment” includes any exhibition, performance, amusement, game, sport or race to which persons are ordinarily admitted on payment;
(f) “Entertainment Tax Officer” means the Zonal Tax Officer of the Municipal Corporation, Tax Superintendent of the Municipal Council or Secretary of the Municipal Committee, as the case may be, or any other person appointed as such, by the Government;</p> | <p>Definitions.</p> |

- (g) "Government" means the Government of the State of Haryana in the administrative department;
- (h) "municipality" means an institution of self government constituted under section 2A of the Haryana Municipal Act, 1973 (24 of 1973);
- (i) "payment for admission" includes-
 - (i) any payment made by a person admitted to any part of a place of entertainment and in a case where such person is subsequently admitted to another part thereof for admission to which an additional payment is required, such additional payment, whether actually made or not;
 - (ii) in case of free, surreptitious, unauthorized or concessional entry, whether with or without the knowledge of the proprietor, the payment which would have been made if the person concerned had been admitted on payment of the full charges ordinarily chargeable for such admission; and
 - (iii) any payment for any purpose whatsoever connected with an entertainment which a person is required to make as a condition of attending or continuing to attend the entertainment in addition to the payment, if any, for admission to the entertainment;
- (j) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;
- (k) "proprietor" in relation to any entertainment includes the owner, partner or any person responsible for the management thereof;
- (l) "prescribed authority" means the officer authorized by the Commissioner in case of Municipal Corporation, Executive Officer in case of Municipal Council and the Secretary in case of Municipal Committee;
- (m) "Secretary" means the Secretary of the Municipal Committee;
- (n) "ticket" means the pass or token for the purpose of securing admission to an entertainment.

Duty on payment for admission to entertainment.

- 3.** (1) A person admitted to an entertainment shall be liable to pay an entertainment duty at such rate, not exceeding one hundred and twenty-five percent (125%) of the amount of payment for admission, as the Government may, specify, by notification in this behalf and the said duty shall be collected by the proprietor and rendered to the municipality in such manner, as may be prescribed:

Provided that Government may impose an entertainment duty on complimentary tickets at a rate different from that imposed on other kinds of payment for admission subject to the maximum specified above.

- (2) A draft of the proposed order specifying the rate of entertainment duty referred to in sub-section (1) shall be notified for the information of all persons likely to be affected thereby and it shall take effect only after the Government has considered all objections received within a period of thirty days from the date of such publications and has notified the same again, with or without modification:

Provided that if the Government considers that such an order should be brought into force at once, the final notification may be issued without previous publication.

- (3) Until such time, as the duty referred to in sub-sections (1) and (2) has been finally notified, the entertainment duty shall be levied at the rates in force in this behalf immediately before the commencement of this Act.

- (4) The amount of duty shall be calculated to the nearest multiple of one rupee.

Duty on video shows.

- 4.** (1) Notwithstanding anything to the contrary contained in this Act, the proprietor of a video set exhibiting shows on payment having seating capacity of less than one hundred persons shall be liable to pay entertainment duty at a rate not exceeding two lacs rupees per annum or as may be notified by the Government, from time to time. The duty shall be payable in advance in such manner, as may be prescribed.

(2) The proprietor of a video set not falling in sub-section (1), exhibiting shows on payment having seating capacity of one hundred or more persons shall be liable to pay entertainment duty at the rate and in the manner prescribed under sub-section (1) of section 3.

- 5.** Where the payment for admission to an entertainment is made in a consolidated sum in the form of a subscription or contribution to any society or a season ticket, or a right of admission to an entertainment or series of entertainment during a specified period, or a privilege, right or facility combined with the right of admission without further payment, or a reduced charge, the entertainment duty shall be paid on the amount of the consolidated sum, but where the Entertainment Tax Officer is of the opinion that the payment for other privileges, rights or facilities besides admission to an entertainment, or is intended to secure admission to an entertainment, during a period when the duty has not been in operation, the duty shall be charged on such amount, as appears to the Entertainment Tax Officer to represent the right of admission to entertainment for which a duty is payable. Payment made in a consolidated sum.
- 6.** The prescribed authority may, in such manner, as may be prescribed, require the proprietor to deposit in the funds of municipality as security for payment of entertainment duty under this Act an amount not exceeding estimated payment of entertainment duty for a period of three months to be fixed on the basis of seating capacity. Deposit of security by proprietor.
- 7.** The proprietor shall, in such manner, as may be prescribed, exhibit at the place of entertainment, the rate of payments for admission and the amount of duty payable on such rates. Posting of tables of rates of payment for admission at conspicuous places.
- 8.** (1) Except as otherwise provided in this Act, no person shall enter an entertainment unless he is in possession of a ticket or a complimentary ticket or a badge issued by the employee under this Act and a person liable to pay entertainment duty shall not enter without having paid such duty payable under this Act in such manner, as may be prescribed. Penalty for non-payment of duty.
- (2) A person who enters an entertainment without permission or surreptitiously, with intent to evade the duty payable under this Act shall, on conviction by a Magistrate, be punishable with fine which may extend to ₹ 500 (five hundred rupees) and in addition be liable to pay such duty.
- 9.** Nothing in this Act shall apply to bonafide employees of the proprietor, who are on duty in connection with the entertainment or to the proprietor. Admission of persons without payment.
- 10.** (1) Save as otherwise provided by this Act, no person shall be admitted on payment to any entertainment where the payment for admission is subject to entertainment duty except with a ticket stamped with an impressed, embossed, engraved or adhesive stamp (not used before) issued by the Government for the purposes of revenue and denoting that the proper entertainment duty has been paid. Method of levy.
- (2) The Government may, on an application by the proprietor, permit such proprietor, on such conditions, as it may specify, to pay the entertainment duty-
- by a consolidated payment of a percentage not exceeding fifty per centum of the gross payment for admission to the entertainment at the rate in force during the period concerned; or
 - in accordance with the returns of the payments for admission to the entertainment; or
 - in accordance with the results recorded by any mechanical contrivance that automatically registers the number of persons admitted.
- (3) If the prescribed authority is satisfied that the entertainment duty has not been correctly levied, collected or paid, it may, within a period of five years from the date the entertainment duty had become due, after giving the proprietor a reasonable opportunity of being heard, proceed to levy the amount of entertainment duty due and recover the same.
- 11.** A proprietor shall maintain the accounts and submit returns in such manner, as may be prescribed. Maintenance of accounts, submission of returns, etc.

Entertainment exempt from payment of duty.

12. (1) No entertainment duty shall be levied on payment for admission to any entertainment where the Director is satisfied on application made in this behalf in such manner, as may be prescribed that the whole of the net proceeds of the entertainment shall be devoted to philanthropic, charitable, educational or scientific purposes which have been approved as such, by the Government.

(2) The Director shall, however, satisfy himself on receipt of application made in this behalf that the whole of the net proceeds of the entertainment is to be devoted to the approved purpose for which exemption is sought.

(3) Nothing in this Act shall apply to any entertainment provided by the staff or students, or both of an academic institution when the proceeds are intended for academic or charitable purposes.

(4) The Government may, for promotion of peace and international goodwill or encouragement of arts and crafts, sports or other public interest, by general or special order, exempt any entertainment or class of entertainment from liability to pay duty under this Act:

(5) No entertainment duty shall be levied on the following events and organizations, namely:-

- (i) Welfare of troops;
- (ii) District Relief Fund;
- (iii) Flag Day Fund;
- (iv) Red Cross Fund;
- (v) District Bharat Scouts and Guides Association;
- (vi) Welfare of the poor students of the school and its library;
- (vii) Prime Minister's Relief Fund;
- (viii) Haryana Defence and Security Relief Fund;
- (ix) Chief Minister's Relief Fund;
- (x) Hind Kusht Niwaran Sangh Fund;
- (xi) Child Welfare Fund;
- (xii) Fund for constructing stadium, auditoriums or playing grounds;
- (xiii) Welfare of Scheduled Castes/Tribes and Backward Classes;
- (xiv) Hospital Welfare Society;
- (xv) Care of Deaf, Dumb or Blind persons;
- (xvi) shows for exhibiting of news-reels, documentary films and other films, released and organized by the Public Relations Department, Haryana-
 - (a) for students on the rolls of educational institutions;
 - (b) for furtherance of public interest such as prohibition, promotion of communal harmony, dissemination of correct knowledge about laws of health, civics and causes of like nature;
- (xvii) all entertainments organized by the military authorities for the benefit of troops and their families;
- (xviii) all entertainments organized by the Deputy Commissioner and Superintendent of Police of a district or sub-divisional officer in charge of a sub-division, the net proceeds where of are intended to be utilized for-
 - (a) District Relief Fund;
 - (b) Chief Minister Haryana Relief Fund;
 - (c) Prime Minister's Relief Fund;
 - (d) Red Cross Fund;
 - (e) National Defence Fund;
- (xix) all sports events organized by the organizations affiliated with the corresponding All India Organizations throughout the State;
- (xx) the amusement parks providing educational and recreational amusement to children on permanent basis set up after the commencement of this Act for a period of one year;
- (xxi) all circus shows;
- (xxii) the films exclusively produced by the Children Film Society of India meant for children.

13. (1) Any person aggrieved by an order made by prescribed authority, may within a period of thirty days from the date of such order, in such manner, as may be prescribed, appeal to the Director or any other officer not below the rank of Deputy Director designated by the Director in this behalf.

Appeal.

Provided that no appeal shall be entertained by the appellate authority unless it is satisfied that the amount of duty due and the penalty imposed, if any, on the person has been paid:

Provided further that if the appellant authority is satisfied that the person is unable to pay the duty due or the penalty imposed, if any, or both, it may, for reasons to be recorded in writing, entertain the appeal without the duty or penalty or both having been paid.

(2) Subject to such procedure, as may be prescribed, the appellate authority may pass on appeal such orders, as it may deem fit.

14. The Additional Chief Secretary to Government, Haryana or Principal Secretary to Government, Haryana, Urban Local Bodies Department, as the case may be or such other officer, as the Government may, by notification, appoint in this behalf, may, on his own motion or on application made within a period of sixty days from the date of order in such manner, as may be prescribed, call for the record of any proceedings or order of any authority subordinate to him for the purpose of satisfying himself as to the legality or propriety of such proceedings or order, and may pass such order in reference thereto, as he may deem fit:

Power of revision.

Provided that such officer before deciding such application, may direct the applicant to deposit, in whole or in part, the amount of duty due and the penalty, if any, imposed under this Act.

15. (1) The proprietor of an entertainment shall, on being required to do so by an officer authorized by the Commissioner in the case of Municipal Corporation, Executive Officer in the case of Municipal Council and Secretary in the case of Municipal Committee in this behalf or any other officer authorized by the Director, Urban Local Bodies, Haryana, produce any accounts or documents, relevant to the sales of tickets and realization of the entertainment duty, as may be necessary for the purposes of this Act.

Production and inspection of accounts and documents.

(2) If any officer mentioned in sub-section (1) has reason to suspect that the proprietor of any entertainment is attempting to evade the payment of any entertainments duty due under this Act, he may, for reasons to be recorded in writing, seize such accounts, registers or documents, as may be necessary and shall grant a receipt for the same and shall retain the same only for so long, as may be necessary for examination thereof.

16. (1) Any officer authorized by the prescribed authority, may enter into, inspect and search any place of entertainment in the municipal limit of the concerned municipality while the entertainment is proceeding at any reasonable time for the purpose of ensuring that the provisions of this Act or any rule made, order issued or direction given thereunder are being complied with and while doing so, such officer shall not be deemed to be a person admitted to the entertainment.

Entry into and inspection of places of entertainment.

(2) The proprietor of every entertainment shall give every reasonable assistance to the aforesaid officer in the performance of his duties under sub-section (1).

17. (1) If the proprietor of an entertainment-

Offences and penalties.

(a) fraudulently evades the payment of any duty due under this Act; or

(b) obstructs any officer making an inspection, search or seizure under this Act; or

(c) act in contravention of, or fails to comply with, any of the provisions of this Act or any rule made, order issued, or direction given, thereunder,

he shall be liable to the imposition of a penalty not exceeding two thousand rupees in addition to the duty due, if any:

Provided that in case of free, surreptitious, unauthorized or concessional entry, whether with or without the knowledge of the proprietor, the proprietor shall be liable to the imposition of a penalty, in addition to the amount of duty, of ten times the amount of duty found to be due as a result of such entry and the amount of penalty imposed on the proprietor shall be counted as entertainment duty penalty:

Provided further that before imposing a penalty, the prescribed authority shall afford the proprietor a reasonable opportunity of being heard.

(2) No court shall take cognizance of an offence under this Act or rules made thereunder except on a complainant made by an officer authorize in this behalf by the prescribed authority.

- Recoveries. **18.** Any sum due under this Act shall be recoverable as arrears of land revenue.
- Delegation of powers. **19.** (1) The Government may delegate all or any of its power under this Act except those conferred upon it by sub-section (2) of section 1, section 22 and this section, to any person or authority subordinate to it.
 (2) The exercise of any power delegated under sub-section (1) shall be subject to such restriction, limitations or conditions, if any, as may be laid down by the Government and shall also be subject to control and revision by it.
- Bar of jurisdiction. **20.** The liability of person to pay the duty or the penalty shall not be determined or questioned in any manner or by any other authority other than provided in this Act or the rules made thereunder.
- Protection of action taken in good faith. **21.** No prosecution, suit or other proceedings shall lie against the Government or any of its officers or servants for any act done or purporting to have been done in good faith under this Act or the rules made thereunder.
- Power to make rules. **22.** (1) The Government may make rules generally for carrying out the provisions of this Act.
 (2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, the rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
 (a) the supply and use of stamps or stamped tickets, if required in connection with the levy of entertainment duty or for the stamping of tickets sent to be stamped and for securing the defacement of stamps when used;
 (b) the use of tickets covering the admission of more than one person and the calculation of the duty thereon for the payment of the duty on the transfer from one part of a place of entertainment to another;
 (c) controlling the use of mechanical contrivance (including the prevention of the use of the same mechanical contrivances for payments of a different amount) and for securing proper records of admission by means of mechanical contrivances;
 (d) the checking of the admission, the keeping of accounts and furnishing of returns by the proprietors in respect of which entertainment duty is payable in accordance with the provisions of this Act;
 (e) renewal of damage or spoiled stamps and the procedure to be followed on applications for refund;
 (f) the keeping of accounts of all stamps used under this Act;
 (g) the form of a ticket, pass or token authorizing admission to an entertainment;
 (h) the presentation and disposal of applications for exemption from payment of the entertainment duty or for the refund thereof;
 (i) the exemption from the entertainment duty on military personnel in uniform;
 (j) the collection of entertainment duty and the powers to be exercised by the officers of Government in that behalf;
 (k) laying down procedure for the hearing and disposal of appeals, applications and all other matters incidental thereto.
 (3) All rules made under this Act shall be laid before the House of the State Legislature during its session next ensuing after the publication thereof and may be confirmed, amended or revoked by it.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

To provide for the levy of entertainment duty in respect of admission to public entertainments.

The substituted Entry No. 62 of the State list (list-II) of seventh Schedule of the Constitution of India empowers the municipalities to levy the taxes on entertainment.

KAVITA JAIN,
Urban Local Bodies Minister, Haryana.

Chandigarh:
The 23rd February, 2019.

R. K. NANDAL,
Secretary.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Under Section-19 & 22 of the Bill, the power has been delegated to the Government to make rules under this Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required rule 126 of the Rule of the Procedure and conduct of Business of the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2019 का विधेयक संख्या 14-एच०एल०ए०

हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क विधेयक, 2019
सार्वजनिक मनोरंजनों में प्रवेश के बारे में
मनोरंजन शुल्क उद्ग्रहण करने
हेतु उपबन्ध करने के लिए
विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा नगर मनोरंजन शुल्क अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण हरियाणा राज्य में है।
(3) यह प्रथम जुलाई, 2017 से लागू हुआ समझा जाएगा।
2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—
 - (i) "मनोरंजन में प्रवेश" से अभिप्राय है, किसी ऐसे स्थान में प्रवेश, जहां मनोरंजन आयोजित किया जा रहा है या आयोजित किया जाना है ;
 - (ii) "आयुक्त" से अभिप्राय है, नगर निगम आयुक्त ;
 - (iii) "निदेशक" से अभिप्राय है, निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, हरियाणा ;
 - (iv) "कार्यकारी अधिकारी" से अभिप्राय है, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद् ;
 - (v) "मनोरंजन" में शामिल हैं, कोई प्रदर्शनी, तमाशा, आमोद-प्रमोद, क्रीड़ा, खेल-कूद या दौड़, जिसमें व्यक्तियों को साधारणतया भुगतान पर प्रवेश दिया जाता है ;
 - (vi) "मनोरंजन कर अधिकारी" से अभिप्राय है, नगर निगम का मण्डलीय कर अधिकारी, नगर परिषद् का कर अधीक्षक या नगरपालिका समिति का सचिव, जैसी भी स्थिति हो, या सरकार द्वारा ऐसे रूप में नियुक्त कोई अन्य व्यक्ति ;
 - (vii) "सरकार" से अभिप्राय है, प्रशासकीय विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;
 - (viii) "नगरपालिका" से अभिप्राय है, हरियाणा नगरपालिका अधिनियम, 1973 (1973 का 24), की धारा 2क के अधीन गठित स्वायत्त शासन की कोई संस्था ;
 - (ix) "प्रवेश के लिए भुगतान" में निम्नलिखित शामिल हैं—
 - (i) मनोरंजन के किसी स्थान के किसी भाग में प्रवेश दिए गए किसी व्यक्ति द्वारा किया गया कोई भुगतान तथा यदि जहां ऐसे व्यक्ति को उसके दूसरे भाग के लिए बाद में प्रवेश दिया गया है, जिसके लिए प्रवेश हेतु अतिरिक्त भुगतान अपेक्षित है, ऐसा अतिरिक्त भुगतान, चाहे वास्तव में किया गया है या नहीं ;
 - (ii) निशुल्क, लुका-छिपा, अप्राधिकृत या रियायती प्रवेश की दशा में, चाहे मालिक की जानकारी या के बिना हो, भुगतान जो किया गया होता यदि सम्बद्ध व्यक्ति को ऐसे प्रवेश के लिए सामान्यतः प्रभार्य सभी प्रभारों के भुगतान पर प्रवेश दिया गया था; तथा
 - (iii) किसी प्रयोजन के लिए कोई भुगतान, जो किसी भी स्वरूप में मनोरंजन से सम्बन्धित है, जो किसी व्यक्ति द्वारा मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान, यदि कोई हो, के अतिरिक्त मनोरंजन में भाग लेने या निरन्तर भाग लेने की शर्त के रूप में किया जाना अपेक्षित है ;
 - (x) "विहित" से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;
 - (xi) किसी मनोरंजन के संबंध में "मालिक" में शामिल हैं, उसके प्रबन्धन के लिए उत्तरदायी कोई स्वामी, भागीदार या कोई व्यक्ति ;
 - (xii) "विहित प्राधिकारी" से अभिप्राय है, नगर निगम की दशा में आयुक्त, नगरपालिका परिषद् की दशा में कार्यकारी अधिकारी तथा नगरपालिका समिति की दशा में सचिव द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी ;
 - (xiii) "सचिव" से अभिप्राय है, नगरपालिका समिति का सचिव ;
 - (xiv) "टिकट" से अभिप्राय है, मनोरंजन में प्रवेश सुनिश्चित करने के प्रयोजन के लिए पास या टोकन।

संक्षिप्त नाम,
विस्तार और
प्रारम्भ।

परिभाषाएं।

मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान पर शुल्क।

3. (1) मनोरंजन में प्रवेश करने वाला कोई व्यक्ति, ऐसी दर पर मनोरंजन शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा, जो प्रवेश के लिए भुगतान की राशि के एक सौ पच्चीस प्रतिशत (125%) से अधिक न हो, जो सरकार, इस निमित्त अधिसूचना द्वारा, विनिर्दिष्ट करे और उक्त शुल्क ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में मालिक द्वारा संगृहीत किया जाएगा और नगरपालिका को दिया जाएगा :

परन्तु सरकार उपरोक्त अधिकतम विनिर्दिष्ट के अध्यक्षीन प्रवेश के लिए किसी अन्य प्रकार के भुगतान पर अधिरोपित से भिन्न दर पर मानार्थ टिकटों पर मनोरंजन शुल्क अधिरोपित कर सकती है।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट मनोरंजन शुल्क की दर विनिर्दिष्ट करते हुए प्रस्तावित आदेश का प्रारूप सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए अधिसूचित किया जाएगा जिनके इससे प्रभावित होने की सम्भावना है और यह केवल ऐसे प्रकाशनों की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर प्राप्त सभी आक्षेपों पर सरकार द्वारा विचार करने के बाद प्रभावी होगा और इसे उपान्तरण सहित या के बिना, दोबारा अधिसूचित किया जाएगा :

परन्तु यदि सरकार विचार करती है कि ऐसे आदेश को तुरन्त लागू किया जाना चाहिए, तो अन्तिम अधिसूचना पूर्व प्रकाशन के बिना जारी की जा सकती है।

(3) जब तक उप-धारा (1) तथा (2) में यथा निर्दिष्ट शुल्क अन्तिम रूप से अधिसूचित नहीं किया गया है, तब तक मनोरंजन शुल्क इस अधिनियम के प्रारम्भ से तुरन्त पूर्व इस निमित्त लागू दरों पर उद्गृहीत किया जाएगा।

(4) शुल्क की राशि एक रूपए के निकटतम गुणज पर संगणित की जाएगी।

वीडियो प्रदर्शन पर शुल्क।

4. (1) इस अधिनियम में दी गई किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी, एक सौ व्यक्तियों से कम सीटिंग क्षमता रखने वाले तमाशे को भुगतान पर प्रदर्शित करने वाला वीडियो सेट का मालिक ऐसी दर, जो प्रतिवर्ष दो लाख रूपए से अधिक न हो या जो सरकार द्वारा, समय-समय पर, अधिसूचित की जाए, पर मनोरंजन शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा। शुल्क ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में अग्रिम में भुगतानयोग्य होगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन नहीं आने वाला, एक सौ या अधिक व्यक्तियों की सीटिंग क्षमता रखने वाले तमाशे को भुगतान पर प्रदर्शित करने वाला वीडियो सेट का मालिक धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन विहित दर पर तथा रीति में मनोरंजन कर का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

समेकित धन-राशि के रूप में भुगतान किया जाना।

5. जहां मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान, अतिरिक्त भुगतान, या प्रभार में कमी के बिना किसी विनिर्दिष्ट अवधि या किसी विशेषाधिकार, अधिकार या प्रवेश के अधिकार से संयुक्त सुविधा के दौरान मनोरंजन या मनोरंजन की श्रृंखला के लिए किसी सोसाइटी या किसी सत्र टिकट, या प्रवेश के अधिकार के लिए अभिदान या अंशदान के रूप में समेकित धन-राशि में किया गया है, तो मनोरंजन शुल्क समेकित धन-राशि की राशि पर भुगतान किया जाएगा, किन्तु जहां मनोरंजन कर अधिकारी की राय है कि किसी अवधि, जब शुल्क परिचालन में नहीं है, के दौरान मनोरंजन में प्रवेश के अतिरिक्त अन्य विशेषाधिकारों, अधिकारों या सुविधाओं के लिए, या मनोरंजन में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए भुगतान किया जाना आशयित है, तो शुल्क ऐसी राशि पर प्रभारित किया जाएगा, जो मनोरंजन, जिसके लिए कोई शुल्क भुगतानयोग्य है, में प्रवेश करने के अधिकार के रूप में मनोरंजन कर अधिकारी को प्रतीत हो।

मालिक द्वारा प्रतिभूति का निक्षेप।

6. विहित प्राधिकारी, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में इस अधिनियम के अधीन मनोरंजन शुल्क के भुगतान के लिए प्रतिभूति के रूप में ऐसी राशि, जो सीटिंग क्षमता के आधार पर तीन मास की किसी अवधि के लिए मनोरंजन कर के रूप में नियत किए जाने वाले अनुमानित भुगतान से अधिक न हो, नगरपालिका की निधियों में निक्षेप करने के लिए मालिक से अपेक्षा कर सकता है।

सहजदृश्य स्थानों पर प्रवेश के लिए भुगतान की दरों की सारणी चिपकाना।

7. मालिक, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में मनोरंजन के स्थान पर प्रवेश के लिए भुगतानों की दर तथा ऐसी दरों पर भुगतानयोग्य शुल्क की राशि प्रदर्शित करेगा।

शुल्क का भुगतान नहीं करने के लिए शास्ति।

8. (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, कोई भी व्यक्ति मनोरंजन में तब तक प्रवेश नहीं करेगा, जब तक वह अपने अधिकार की टिकट या मानार्थ टिकट या इस अधिनियम के अधीन किसी कर्मचारी द्वारा जारी बैज नहीं रखता हो और मनोरंजन शुल्क के भुगतान के लिए दायी ऐसा व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में भुगतानयोग्य ऐसे शुल्क का भुगतान किए बिना प्रवेश नहीं करेगा।

(2) ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन भुगतानयोग्य शुल्क के अपवचन के आशय से अनुज्ञा के बिना या लुका-छिपा से मनोरंजन में प्रवेश करता है, तो वह, किसी मजिस्ट्रेट द्वारा दोषसिद्ध पर, ऐसे जुर्माने, जो रूपए 500/- (पांच सौ रूपए) तक बढ़ाया जा सकता है, से दण्डनीय होगा तथा इसके अतिरिक्त ऐसे शुल्क का भुगतान करने के लिए दायी होगा।

9. इस अधिनियम की कोई भी बात मालिक के वास्तविक कर्मचारियों पर लागू नहीं होगी, जो मनोरंजन या मालिक के संबंध में ड्यूटी पर हों।

भुगतान के बिना व्यक्तियों का प्रवेश।

10. (1) इस अधिनियम द्वारा यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, किसी भी व्यक्ति का किसी भी मनोरंजन में भुगतान पर प्रवेश नहीं करवाया जाएगा जहां प्रवेश के लिए भुगतान राजस्व प्रयोजनों के लिए सरकार द्वारा छापित, समुद्भूत, उत्कीर्ण या चिपकने वाला स्टाम्प (जो पहले उपयोग नहीं की गई हो) से स्टांपित जारी टिकट मनोरंजन शुल्क के अध्यक्षीन नहीं हो और निर्दिष्ट करेगा कि उचित मनोरंजन शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।

उद्ग्रहण का ढंग।

(2) सरकार, मालिक के आवेदन पर, ऐसे मालिक को, ऐसी शर्तों पर, जो यह विनिर्दिष्ट करे,—

- (क) प्रतिशतता, जो सम्बद्ध अवधि के दौरान लागू दर पर मनोरंजन में प्रवेश के लिए सकल भुगतान का पचास प्रतिशत से अधिक न हो, के समेकित भुगतान द्वारा ; या
- (ख) मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतानों की विवरणी के अनुसार ; या
- (ग) किसी यान्त्रिक युक्ति, जो प्रवेशित व्यक्तियों की संख्या को अपने आप रजिस्टर करती है, द्वारा रिकार्डिड परिणामों के अनुसार, मनोरंजन शुल्क के भुगतान के लिए अनुज्ञात कर सकती है।

(3) यदि विहित प्राधिकारी की संतुष्टि हो जाती है कि मनोरंजन शुल्क उचित रूप से उद्गृहीत, संगृहीत या भुगतान नहीं किया गया है, तो वह मनोरंजन शुल्क देय होने की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के भीतर, मालिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, देय मनोरंजन शुल्क की राशि उद्ग्रहण करने के लिए कार्यवाही कर सकता है और उसकी वसूली कर सकता है।

11. मालिक, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में लेखों का रख-रखाव करेगा और विवरणियां प्रस्तुत करेगा।

लेखों का रख-रखाव, विवरणी इत्यादि प्रस्तुत करना।

12. (1) कोई भी मनोरंजन शुल्क, किसी मनोरंजन में प्रवेश के लिए भुगतान पर उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, जहां निदेशक की ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में इस निमित्त किए गए आवेदन पर संतुष्टि हो जाती है कि मनोरंजन के सम्पूर्ण शुद्ध आगम लोकोपकारी, धर्मार्थ, शिक्षा-सम्बन्धी या वैज्ञानिक प्रयोजनों, जो ऐसे रूप में सरकार द्वारा अनुमोदित किए गए हैं, को अर्पित किए जाएंगे।

शुल्क के भुगतान से मनोरंजन छूट।

(2) तथापि, निदेशक, इस निमित्त किए गए आवेदन की प्राप्ति पर स्वयं की संतुष्टि करेगा कि मनोरंजन के सम्पूर्ण शुद्ध आगम अनुमोदित प्रयोजन, जिसके लिए छूट मांगी गई है, को अर्पित किए जाने हैं।

(3) इस अधिनियम की कोई भी बात, शैक्षणिक संस्था के अमले या छात्रों या दोनों के द्वारा उपलब्ध करवाए गए किसी मनोरंजन पर लागू नहीं होगी जब आगम शैक्षणिक या धर्मार्थ प्रयोजनों के लिए आशयित हैं।

(4) सरकार, सामान्य या विशेष आदेश द्वारा शान्ति और अन्तर्राष्ट्रीय मित्रभाव की प्रोन्नति या कला और शिल्प, क्रीड़ा या अन्य लोक हित को बढ़ावा देने हेतु, इस अधिनियम के अधीन शुल्क भुगतान के दायित्व से किसी मनोरंजन या मनोरंजन के वर्ग को छूट दे सकती है।

(5) निम्नलिखित आयोजनों और संगठनों पर कोई भी मनोरंजन शुल्क उद्गृहीत नहीं किया जाएगा, अर्थात्—

- (i) कल्याण दलों ;
- (ii) जिला राहत निधि ;
- (iii) झण्डा दिवस निधि ;
- (iv) रेडक्रास निधि ;
- (v) जिला भारत स्काउट्स तथा गाइड संघ ;
- (vi) विद्यालय के गरीब छात्रों के कल्याण और इनका पुस्तकालय;
- (vii) प्रधान मन्त्री राहत निधि ;
- (viii) हरियाणा रक्षा तथा सुरक्षा राहत निधि ;
- (ix) मुख्य मन्त्री राहत निधि ;
- (x) हिन्द कुष्ठ निवारण संघ निधि ;

- (xi) बाल कल्याण निधि ;
- (xii) स्टेडियम, एडीटोरियम या खेल मैदानों के निर्माण हेतु निधि;
- (xiii) अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के कल्याण ;
- (xiv) अस्पताल कल्याण सोसाइटी ;
- (xv) बहरों, गूंगों या नेत्रहीन व्यक्तियों की देख-रेख ;
- (xvi) निम्नलिखित के संबंध में लोक सम्पर्क विभाग, हरियाणा द्वारा प्रकाशित (रिलीज्ड) और आयोजित नई रीलों के प्रदर्शन हेतु शो, वृत्तचित्र फिल्मों और अन्य फिल्मों,—
 - (क) शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिकाओं पर छात्रों हेतु ;
 - (ख) लोक हित के प्रोत्साहन हेतु जैसे निषेध, सामुदायिक समन्वय को बढ़ावा देने, स्वास्थ्य, नागरिक विधियों तथा समान प्रकृति के उद्देश्यों के बारे में सही ज्ञान का प्रसार ;
- (xvii) सैन्य प्राधिकरणों द्वारा दलों और उनके परिवारों के लाभ के लिए आयोजित सभी मनोरंजन ;
- (xviii) जिले के उपायुक्त तथा पुलिस अधीक्षक या उपमण्डल के प्रभारी उपमण्डल अधिकारी द्वारा आयोजित सभी मनोरंजन, जहां उनके शुद्ध आगम निम्नलिखित के लिए उपयोग किए जाने आशयित हैं —
 - (क) जिला राहत निधि ;
 - (ख) मुख्य मन्त्री, हरियाणा राहत निधि ;
 - (ग) प्रधान मन्त्री राहत निधि ;
 - (घ) रेड क्रॉस निधि ;
 - (ङ) राष्ट्रीय रक्षा निधि ;
- (xix) सम्पूर्ण राज्य में अखिल भारतीय संगठनों से अनुरूप सम्बद्ध संगठनों द्वारा आयोजित किए जाने वाले सभी क्रीड़ा आयोजन;
- (xx) एक वर्ष की अवधि के लिए इस अधिनियम के प्रारम्भ के बाद बालकों के लिए शैक्षणिक तथा मनोरंजनात्मक आमोद-प्रमोद उपलब्ध करवाने के लिए स्थाई आधार पर स्थापित आमोद-प्रमोद पार्क ;
- (xxi) सभी सर्कस प्रदर्शन ;
- (xxii) भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी द्वारा केवल बालकों के लिए बनाई गई फिल्में।

अपील।

13. (1) विहित प्राधिकारी द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे आदेश की तिथि से तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में निदेशक या निदेशक द्वारा इस निमित्त पदाभिहित किसी अन्य अधिकारी, जो उप निदेशक की पदवी से नीचे का न हो, को अपील कर सकता है:

परन्तु कोई भी अपील, ऐसे अपील प्राधिकारी द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी, जब तक उसकी संतुष्टि नहीं हो जाती है कि उस व्यक्ति की तरफ देय शुल्क तथा अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, की राशि का भुगतान कर दिया गया है :

परन्तु यह और कि यदि अपील प्राधिकारी संतुष्ट हो जाता है कि वह व्यक्ति उसकी तरफ देय शुल्क या अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, या दोनों का भुगतान करने के लिए असमर्थ है, तो वह, अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए भुगतान किए जाने वाले शुल्क या शास्ति या दोनों के बिना अपील ग्रहण कर सकता है।

(2) ऐसी प्रक्रिया के अधीन, जो विहित की जाए, अपील प्राधिकारी, अपील पर ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह उचित समझे।

पुनरीक्षण की शक्ति।

14. अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार या प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, जैसी भी स्थिति हो, या ऐसा अन्य अधिकारी, जिसे सरकार, अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त नियुक्त करे, स्वप्रेरण से या ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में आदेश की तिथि से साठ दिन की अवधि के भीतर किए गए आवेदन पर, उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकारी की किन्हीं कार्यवाहियों या आदेश, ऐसी कार्यवाहियों या आदेश की वैधता या उपयुक्तता के बारे में स्वयं को संतुष्ट करने के प्रयोजन के लिए, के अभिलेख मांग सकता है, और उनके प्रतिनिर्देश से ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जैसा वह उचित समझे :

परन्तु ऐसा अधिकारी, ऐसे आवेदन पर निर्णय लेने से पूर्व, आवेदक को इस अधिनियम के अधीन देय शुल्क तथा अधिरोपित शास्ति, यदि कोई हो, की राशि पूर्णतः या अंशतः जमा करवाने के निर्देश कर सकता है।

15. (1) किसी मनोरंजन का मालिक, इस निमित्त, नगर निगम की दशा में आयुक्त, नगरपालिका परिषद् की दशा में कार्यकारी अधिकारी तथा नगरपालिका समिति की दशा में सचिव द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा ऐसा करने की अपेक्षा किए जाने पर, टिकटों की बिक्री तथा मनोरंजन शुल्क की वसूली से सम्बन्धित किन्हीं लेखों या दस्तावेजों को निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करेगा, जो इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए आवश्यक हों।

लेखों तथा दस्तावेजों के प्रस्तुतिकरण तथा निरीक्षण।

(2) यदि उपधारा (1) में वर्णित किसी अधिकारी के पास संदेह करने का कारण है कि किसी मनोरंजन का मालिक, इस अधिनियम के अधीन देय किसी मनोरंजन शुल्क के भुगतान का अपवंचन करने का प्रयास कर रहा है, तो वह अभिलिखित किए जाने वाले कारणों के लिए ऐसे लेखों, रजिस्ट्रों या दस्तावेजों, जो आवश्यक हों, को जब्त कर सकता है तथा उनके लिए रसीद देगा तथा उन्हें ऐसी समय अवधि के लिए रखेगा जो उनके परीक्षण के लिए आवश्यक हो।

16. (1) विहित प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, यह सुनिश्चित करने के प्रयोजन हेतु कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, जारी किए गए किसी आदेश या दिए गए निर्देश के उपबन्धों की अनुपालना की जा रही है, किसी युक्तियुक्त समय पर चलने वाले मनोरंजन के दौरान सम्बद्ध नगरपालिका की नगरपालिका सीमा में मनोरंजन के किसी स्थान में प्रवेश कर सकता है, उसका निरीक्षण कर सकता है तथा तलाशी ले सकता है और ऐसा करते समय, ऐसा अधिकारी को मनोरंजन में प्रवेशित किसी व्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा।

मनोरंजन स्थलों में प्रवेश करना और उनका निरीक्षण करना।

(2) प्रत्येक मनोरंजन के मालिक द्वारा उपरोक्त अधिकारी को उप-धारा (1) के अधीन उसके कर्तव्यों की अनुपालना करने में प्रत्येक युक्तियुक्त सहायता दी जाएगी।

17. (1) यदि मनोरंजन का मालिक –

अपराध तथा शास्तियां।

(क) इस अधिनियम के अधीन किसी देय शुल्क का भुगतान करने में कपटपूर्वक अपवंचन करता है ; या

(ख) इस अधिनियम के अधीन किसी निरीक्षण, तलाशी या जब्ती करने वाले किसी अधिकारी को रोकता है ; या

(ग) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम, जारी किए गए किसी आदेश या दिए गए किसी निर्देश के किन्हीं उपबन्धों की उल्लंघना में कार्य करता है या अनुपालना करने में असफल रहता है,

तो वह ऐसी शास्ति के अधिरोपण के लिए दायी होगा जो देय शुल्क, यदि कोई हो, के अतिरिक्त दो हजार रूपए से अधिक नहीं होगी :

परन्तु निशुल्क, लुका-छिपा, अप्राधिकृत या रियायती प्रवेश की दशा में, चाहे मालिक की जानकारी या के बिना हो, तो मालिक पर शुल्क की राशि के अतिरिक्त ऐसे प्रवेश के परिणामस्वरूप देय पाई जाने वाली शुल्क की राशि का दस गुणा की शास्ति का अधिरोपण किया जाएगा और मालिक पर अधिरोपित शास्ति की राशि की गणना मनोरंजन शुल्क शास्ति के रूप में की जाएगी :

परन्तु यह और कि शास्ति अधिरोपित करने से पूर्व, विहित प्राधिकारी मालिक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करेगा।

(2) कोई भी न्यायालय, विहित प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी शिकायत के सिवाय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

18. इस अधिनियम के अधीन देय कोई धन-राशि भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूलीयोग्य होगी।

वसूलियां।

19. (1) सरकार धारा 1 की उप-धारा (2), धारा 22 तथा इस धारा द्वारा इसे प्रदत्त शक्तियों के सिवाय किसी व्यक्ति या इसके अधीनस्थ प्राधिकारी को, इस अधिनियम के अधीन इसकी सभी या किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकती है।

शक्तियों का प्रत्यायोजन।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्रत्यायोजित किसी शक्ति का प्रयोग ऐसे निर्बन्धन, सीमाओं या शर्तों, यदि कोई हों, के अधीन होगा, जो सरकार द्वारा अधिकथित की जाएं और इसके नियन्त्रण और पुनरीक्षण के अधीन भी होगा।

अधिकारिता का वर्जन।

20. शुल्क या शास्ति के भुगतान के लिए व्यक्ति का दायित्व इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों में उपबन्धित से अन्यथा किसी रीति में अवधारित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रश्नगत नहीं किया जाएगा।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण।

21. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक किए गए या किए जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के लिए सरकार या इसके किन्हीं अधिकारियों या सेवकों के विरुद्ध कोई अभियोजन, वाद या अन्य कार्यवाहियां नहीं लाई जाएंगी।

नियम बनाने की शक्ति।

22. (1) सरकार सामान्यतया इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, नियमों में निम्नलिखित सभी या किन्हीं मामलों के लिए उपबन्ध किया जा सकता है, अर्थात् :-

- (क) स्टाम्पों या स्टाम्पित टिकटों की सप्लाई और उपयोग, यदि मनोरंजन शुल्क के उद्ग्रहण के संबंध में या स्टाम्पित की जाने वाली टिकटों को स्टाम्पिंग के लिए भेजने हेतु और स्टाम्पों, जब उपयोग की जाएं, का विरूपण सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित हो ;
- (ख) एक व्यक्ति से अधिक के प्रवेश को ध्यान में रखते हुए टिकटों का उपयोग और मनोरंजन के किसी स्थान के एक भाग से दूसरे भाग में अन्तरण पर शुल्क के भुगतान के लिए उस पर शुल्क की संगणना ;
- (ग) यान्त्रिक युक्ति (इसमें किसी भिन्न राशि के भुगतानों के लिए उन्हीं यान्त्रिक युक्तियों का उपयोग का निवारण भी शामिल है) के उपयोग का नियन्त्रण करने तथा यान्त्रिक युक्तियों के द्वारा प्रवेश के उचित रिकार्ड सुनिश्चित करने ;
- (घ) प्रवेश की जांच करने, मालिकों द्वारा लेखों को बनाए रखने और विवरणियां प्रस्तुत करने, जिनके संबंध में मनोरंजन शुल्क इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार भुगतानयोग्य है ;
- (ङ) विकृत या खराब स्टाम्पों का नवीकरण करने और प्रतिदाय के लिए आवेदनों पर अपनाई जाने वाली प्रक्रिया ;
- (च) इस अधिनियम के अधीन उपयोग की गई सभी स्टाम्पों के लेखों को बनाए रखने ;
- (छ) मनोरंजन में प्रवेश को प्राधिकृत करने वाली टिकट, पास या टोकन का प्ररूप ;
- (ज) मनोरंजन शुल्क के भुगतान से छूट देने के लिए या उसके प्रतिदाय के लिए आवेदनों का प्रस्तुतीकरण और निपटान ;
- (झ) वर्दीधारी सैन्य क्रामिकों को मनोरंजन शुल्क से छूट देने ;
- (ञ) मनोरंजन शुल्क का संग्रहण करने तथा उस निमित्त सरकार के अधिकारियों द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियां ;
- (ट) अपीलों, आवेदनों तथा उससे आनुषंगिक सभी अन्य मामलों की सुनवाई तथा निपटान के लिए प्रक्रिया अधिकथित करने।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियमों को उनके प्रकाशन के बाद राज्य विधान मण्डल के सदन के सम्मुख इसके आगामी सत्र के दौरान रखवाया जाएगा और इसके द्वारा पुष्ट, संशोधित या प्रतिसंहरण किए जा सकते हैं।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

सार्वजनिक मनोरंजनों में प्रवेश के संबंध में मनोरंजन शुल्क के उपग्रहण के लिए उपलब्ध करना। भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की राज्य सूची (सूची-II) की प्रतिस्थापित प्रविष्टि संस्था-62 मनोरंजन पर करों के उदग्रहण के लिए नगरपालिकाओं को सशक्त बनाती है।

कविता जैन,
शहरी स्थानीय निकाय मंत्री,
हरियाणा।

चण्डीगढ़:
दिनांक 23 फरवरी, 2019.

आर० के० नांदल,
सचिव।

प्रत्यायोजित विधान के बारे ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 19 तथा 22 द्वारा राज्य सरकार को अधिनियम के उद्देश्य की पूर्ति हेतु नियम बनाने की शक्तियां दी गई हैं। कार्यकारी शक्तियों का यह प्रत्यायोजन सामान्य स्वरूप का है। अतः हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन अपेक्षित प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन संलग्न है।

56887—H.V.S.—H.G.P.,Chd.